<u>कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (राज0)</u>

क्रमांक/क्षेत्राधिकार/2023/53 दिनांक 5/8/23

आदेश

झालावाड़ न्यायक्षेत्र के आपराधिक मामलों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 28.01.1993, दिनांक 06.08.2012 एवं दिनांक 20.11.2019 को प्रसारित आदेश में समय–समय पर न्यायालयों के अभ्युत्थान होने, न्यायालयों के नवसृजन होने, नये पुलिस थानो के गठन होने के कारण एवं आवश्कतानुसार उक्त आदेश में संशोधन–दर–संशोधन होने से एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकार आदेश में स्पष्टता नही है। इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/क्षेत्राधिकार/2012/49 दिनांक 06.08.2012 द्वारा झालावाड़ उपखण्ड में उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई. एक्ट के सभी मामले न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, झालावाड़ को दिये गये थे। उसके पश्चात असनावर उपखण्ड बनने के पश्चात क्रमांक/स्था./2019/1513 दिनांक 05.11.19 से महिला पुलिस थाना के साथ असनावर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिये जाने से धारा 138 एन. आई. एक्ट के भी प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ में पेश किये जा रहे हैं। वर्तमान में नवसृजित न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को असनावर थाना क्षेत्र के आपराधिक मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है। अतः धारा 138 एन.आई. एक्ट के सम्बन्ध में आदेश को स्पष्ट करने के लिए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़ से विचार–विमर्श व अनुमोदन पश्चात **<u>मैं गौरव शर्मा, आर0जे0एस0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) व सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक) 2018 आदेश–35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए</u>** असनावर उपखण्ड क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के मामलों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को अधिकृत करता हूँ।

—sd—
(गौरव शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़

क्रमांक– 959 दिनांक 5/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़।
2– श्रीमान् जिला कलेक्टर झालावाड़।
3– श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़।
4– अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड नं01 झालावाड़।
5– न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
6– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
7– श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक परिषद झालावाड़।
8– सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की Website- jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।
9– आदेश /संबंधित पत्रावली ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़

07– न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट व रिमाण्ड आदेश पर आगामी तिथि पर संबंधित न्यायालय में पेश करने का नोट अंकित करेंगे।

08– अधिकारीगण अपने पद व सील के नीचे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट का अंकन करेंगे।

09– उपरोक्त अवकाश दिवस के आगामी दिन/दिनों में किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी आगामी दिवस/दिवसों के लिए भी अवकाशकालीन अधिकारी समझा जावेगा। जिन भी न्यायिक अधिकारियों की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, अवकाश के एक दिन पूर्व कार्यालय समय पश्चात् से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक उनकी रिमाण्डी ड्यूटी प्रभावी होगी।

नोटः– उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हो तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।

— Sd —

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।

क्रमांक– 957 दिनांक 5/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय झालावाड

02– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड संख्या 01 एवं 02/भवानीमण्डी/अकलेरा/मनोहरथाना/झालरापाटन/चौमहला

03– न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड/खानपुर/पिडावा/भवानीमण्डी/अकलेरा

04– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, झालरापाटन।

05– प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।

06– श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।

07– प्रभारी अधिकारी वायरलैस केन्द्र झालावाड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिए वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।

08– सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की Website-jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

09– आदेश/संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज0)

दिनांक 5/8/23

क्रमांक :- 52

::: संशोधित आदेश :::

मैं गौरव शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ एतद्द्वारा धारा 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व के आदेश क्रमांक 51 दिनांक 01.08.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए माह **अगस्त, वर्ष 2023** में घोषित राजकीय अवकाश व अन्य अवकाश के दिनों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़, अन्य सभी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ व न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न होने वाले आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्य (जो कि नियमित न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो) के अलावा जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, निरोध अवधि की अभिवृद्धि, अंतर्गत धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता, आवश्यक प्रकृति के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, सुपुर्दगी आवेदन अंतर्गत धारा 452, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता, गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में गिरफ्तार हुए व्यक्तियो के संबंध में आदेश, मृत्युकालीन कथन, धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जॉच, 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन व अन्य इसी प्रकृति के आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में निम्नलिखित अवकाश के दिनो में न्यायालय कर्मचारियों के सहयोग से निम्न अधिकारी समय 11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम. तक सम्पादित करेगे। इस संबंध में उपरोक्त सभी आवश्यक प्रकृति के कार्य करने के लिए निम्न न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ:-

क्र. सं.	अवकाशकालीन न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	मोबाईल नं0	अवधि
01.	श्रीमती शिल्पी बंसल, ए.सी.जे.एम. सं. 01 झालावाड़	8386909409	06.08.2023 व 09.08.2023
02.	श्री आशीष मीना, ए.सी.जे.एम. अकलेरा	9602942776	12.08.2023 व 13.08.2023
03.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जे.जे.बी., झालावाड़	9460850689	15.08.2023 व 20.08.2023
04	श्री अंकुर अग्रवाल, एसीजेएम, झालरापाटन	9829715535	26.08.2023 व 27.08.2023
05	श्री मनोज सिंह फौजदार, ए.सी.जे.एम. सं. 02 झालावाड	9413160735	30.08.2023

उपरोक्त अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित दिशा निर्देशो की पालना करेंगे–

01– अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट, निर्धारित समय में न्यायालय में उपस्थित रहेंगे अथवा आवश्यक प्रकृति के कार्य खत्म होने तक।

02– बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

03– उपरोक्त अवकाशकालीन अधिकारी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ होने की दृष्टि में एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

04– उपरोक्त कार्य दिवस के संबंध में नियुक्त अधिकारी आपस में आपसी सहमति से तिथियों का बदलाव इस कार्यालय को सूचित कर सकेंगे।

05– यदि संभव हो तो अवकाशलीन मजिस्ट्रेट उस दिन निष्पादित किए गए कार्य का लेखा जोखा एक रजिस्टर के रूप में रखेंगे।

06– अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का कार्य सम्पादित करेंगे समस्त दस्तावेजात संबंधित न्यायालय को यथा शीध्र प्रेषित करेंगे।